

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकांश निर्देशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सैनिल राजपुरोहित पुत्र भवरसिंह राजपुरोहित मालिक/विकला, भंसर्स - जोधपुर मिष्ठान भण्डार, निर्मलि बौराहा, बस स्टण्ड, शाहपुरा, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि विकला की दुकान पर एक रूँ में 4-5 किलोग्राम खोया फिज में रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर एफएसएमए 2006 एक्ट के तहत उल्लिखित प्राधानों के तहत नमूना वास्तु जांच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार खोया का नमूना लेकर वास्तु जांच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जांच नमूना सबस्टैण्डर्ड होने पाया गया।



**आदेश**

- उपस्थित-
- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रयोकार
- 2 विपक्षी उपस्थित नहीं।

दिनांक 14.03.2019

दण्डनीय धारा 51

पुनः अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं

<p>सरकार जयि आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकांश, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा</p>	<p>1. सैनिल राजपुरोहित पुत्र भवरसिंह राजपुरोहित मालिक/विकला, भंसर्स - जोधपुर मिष्ठान भण्डार, निर्मलि बौराहा, बस स्टण्ड, शाहपुरा, भीलवाड़ा</p>
--	---

उपरोक्त प्रकरण

प्रकरण संख्या 13/2018 खाद्य सुरक्षा

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**







न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीलाला

श्रीलाला में प्रस्तुत करे ।  
उक्त शक्ति शक्ति बालान द्वारा जमा कर, बालान कैशियर जिला कलेक्टर कार्यालय  
निष्ठान भण्डार, निर्मित बौराहा, बस स्टैंड, शाहपुरा, श्रीलाला को भेजकर लेख है कि  
4 श्री सुनिल राजपुरोहित पुत्र भवरसिंह राजपुरोहित मालिक/विकेता, भैरव - जोधपुर  
3 कैशियर, जिला कलेक्टर कार्यालय श्रीलाला  
2 अतिरिक्त अधिकारी एवं मुख्य विकेता एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीलाला

जोधपुर  
1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)विकेता एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान  
प्रतिनिधि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीलाला

में सूनाया गया ।  
निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय  
कार्यालय श्रीलाला में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे ।  
विपक्षी उपरोक्त शक्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलेक्टर  
विपक्षी पर 2,00,000/-रुपये (अक्षर दो लाख रुपये) शक्ति आरोपित की जाती है ।  
करने एवं अपराध कालिह होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत  
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 का उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन  
दोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये  
उपरोक्त प्राधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थात् से  
किया हुआ है ।  
धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शक्ति आरोपित किये जाने का प्राधान  
एवं जिसका पुमाना धारा 51 में वर्णित है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की  
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 का उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है  
है । इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबरस्टैंड्ड खोया का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि  
स्टैंड्ड, शाहपुरा, श्रीलाला सबरस्टैंड्ड खोया का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी  
राजपुरोहित मालिक/विकेता, भैरव - जोधपुर निष्ठान भण्डार, निर्मित बौराहा, बस  
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सुनिल राजपुरोहित पुत्र भवरसिंह  
जिसका पुमाना एकपसपस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है ।  
एकपसपस एक्ट 2006 की धारा 26 का उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है  
होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबरस्टैंड्ड खोया निर्माण एवं विक्रय कर